कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय मैनपुरी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 05-03-2022 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जनपद न्यायालय, मैनपुरी के परिसर पर स्थित निम्नलिखित दुकानों के ठेका हेतु नीलामी प्रक्रिया माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति , नासिर अहमद अध्यक्ष समिति विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, पूनम राजपूत, सदस्य समिति विशेष न्यायाधीश ई. सी एक्ट, अमित मिश्रा, सदस्य समिति सिविल जज प्रवर वर्ग की उपस्थिति व निर्देशन में दिनांक 22-03-2022 , 29-03-2022 ,31-03-2022 ,07-04-2022 व 15-04-2022 को जनपद न्यायालय मैनपुरी के मीटिंग कक्ष में सम्पन्न की गयी जिसमें ठेका दो पहिया वाहन स्टैंड, ठेका कैन्टीन, व ठेका फोटोस्टेट ही उठ सका। अन्य ठेको की नीलामी पुनः दिनांक 30-05-2022 को प्रातः 10:30 बजे जनपद न्यायालय मैनपुरी के मीटिंग कक्ष में सम्पन्न की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड , वोटर आई डी कार्य) के साथ उपस्थित हो।

नीलाम होने वाली दुकानो का विवरण

1	ठेका फोटोग्राफी	1
2	ठेका फल चाट शिकंजी बेल का जूस	1
3	ठेका पान सुपारी मसाला	1
4	ठेका उबला चना, आलू, मूंगफली, भुट्टा	1
5	ठेका मंजन चूर्ण, तेल	1

नीलामी की शर्तें निम्नलिखित हैं

1-यह ठेका 01-04-2022 से 31-03-2023 तक के लिए वैध होगा।

2-जिस ठेकेदार के यहां ठेके से सम्बन्धित कोई भी धनराशि किसी भी समय का बकाया है, उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधी को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः नीलामी करा दी जायेगी।

3-नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने को अधिकार होगा।

4-जिसके पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी, उसे ठेके की 40 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 20-20 प्रतिशत की तीन त्रैमासिक किस्तों (प्रथम किश्त जून 2022,. द्वितीय किश्त सितम्बर 2022 , तृतीय किश्त दिसम्बर 2022 तक) में जमा करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दिया जायेगा और बकाया राशि भू राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।

5-जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी बोली स्वीकृत होगी वह वयक्ति अपनी दुकान स्वयं चलाएगा। अपने किसी रिश्तेदार , सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा। उपर्युक्त बातो की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
6-ठेके की बोली स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोली दाता को ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

7- जिस वयक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 31 / एस दिनांकित 16-03-1998 में दी गई शर्तों के अनुसार बोली के पश्चात रूपये 100.00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

8- ठेकेदार को न्यायालय परिसर में स्थित अपने दुकान के पास साफ-सफाई स्वयं करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 139 दिनांकित 18-03-1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूचना

प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगाई जाये यहां से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।

9- माननीय जनपद न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं अथवा किसी वयक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थ की दुकानों की हर प्रकार से निरीक्षण करा सकेंगे।

10-न्यायालय परिसर में जो स्थान दुकान करने हेतु दिया जायेगा, उसी स्थान पर दुकान करना होगा।

11-न्यायालय परिसर में पान के ठेकेदार तम्बाकू, सिगरेट बीडी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेंगे, इस सम्बन्ध में उन्हे एक अंडर टेकिंग देनी होगी।

12-न्यायालय परिसर में ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिक्री करेंगे, वह खाद्य अपमिश्रण एक्ट के मानको के अनुरुप होगा तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।

13-न्यायालय परिसर में वर्तमान में चल रहे कोविड-19 के बचाव हेतु माननीय उच्च न्यायालय एवं शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन ठेकेदारों द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।

14-किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग व क्रिया कलाप में संलिप्त रहेगा।

15-उपरोक्त शर्तों में किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति की दुकान व ठेका निरस्त कर दें या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसकी संपत्ति से करा दें।

दिनांक 20-05-2022

(नासिर अहमद)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश द. प्र.क्षे./
मैनपुरी।

प्रतिलिपि-
1-नाजिर कलक्ट्रेट मैनपुरी को नोटस बोर्ड पर चस्पा हेतु
2-कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका परिषद मैनपुरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
3-कार्यालय पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
4-कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
5-स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु
6-जिला सूचना अधिकारी , मैनपुरी को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु
7-जनपद न्यायालय मैनपुरी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
8-जनपद न्यायालय मैनपुरी की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु नोडल आफिसर कम्पयूटर को।
9-माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ओ एस डी कम्पयूटर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को।

दिनांक 20-05-2022

(नासिर अहमद)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश द. प्र.क्षे./
मैनपुरी।